



कृषि विभाग



बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), बिहार, पटना
किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण

सब—मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2019–20 के तहत किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत गेहूँ, आलू, गाय पालन (संकर नस्ल / देशी) एवं मत्स्य पालन प्रक्षेत्र में पुरस्कृत करने हेतु किसानों के चयन के लिए इच्छुक किसान भाइयों/बहनों से ऑन—लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. किसान अपना ऑन लाइन आवेदन पत्र परियोजना निदेशक, आत्मा/प्रखंड अंतर्गत ई—किसान भवन/वसुधा केन्द्र एवं अन्य जगहों से भी भर सकते हैं। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन पत्र दे सकते हैं।
2. ऑन लाइन आवेदन पत्र www.bameti.org अथवा www.krishi.bih.in के पोर्टल पर जाकर भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी “आत्मा योजना अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2019–20 के लिए आवेदन पत्र” पर क्लिक कर उपर्युक्त साईट / पोर्टल पर अपना आवेदन पत्र भरेंगे।
3. किसान पुरस्कार खरीफ औसत में रबी औसत में गेहूँ, आलू, गायपालन (संकर नस्ल / देशी) तथा मत्स्यपालन कुल 04 व्यवसाय/प्रक्षेत्र के लिए दिया जाएगा। किसानों के चयन का आधार संबंधित प्रक्षेत्र में प्रति इकाई केवल अधिकतम उत्पादकता रखी गई है।
4. उपर्युक्त संबंधित प्रत्येक क्षेत्र / व्यवसाय में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रखंड स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र / व्यवसाय में 01—01, जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र / व्यवसाय में 01—01 तथा राज्य स्तर पर 01—01 किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को समारोह आयोजित कर निम्न रूपों में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा—

क्र0सं0	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)			पुरस्कार की कुल संख्या
		नगद	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार	
1.	प्रखंड	10,000 रु0	01 अदद	किसान श्री	534x4=2136
2.	जिला	25,000 रु0	01 अदद	किसान गौरव	38x4=152
3.	राज्य	50,000 रु0	01 अदद	किसान प्रेष्ठ	04

5. किसान पुरस्कार हेतु शर्तें, किसान की पात्रता तथा आवेदन देने एवं चयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के वेबसाईट www.krishi.bih.in अथवा बामेती के वेबसाईट www.bameti.org पर उपलब्ध है। इसे संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
6. आलू तथा गेहूँ फसल में ऑन लाइन आवेदन देने की तिथि 27 नवम्बर, 2019 से 27 जनवरी, 2020 तक निर्धारित की गई है। पशुपालन एवं मत्स्यपालन में ऑनलाइन आवेदन देने की तिथि 27 नवम्बर, 2019 से 28 फरवरी, 2020 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
7. गेहूँ/आलू/गाय पालन (क्रॉस ब्रीड / देशी) मत्स्य पालन में आवेदक द्वारा संस्थित परिपक्वता तिथि के अनुसार उत्पादकता मूल्यांकन समिति द्वारा जाँच कर उत्पादकता निर्धारित की जाएगी।
8. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही पुरस्कार देय होगा।
9. कार्यक्रम के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसान भाई/बहन अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला पशुपालन पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से संपर्क कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

PR. No. 11211 (Agriculture) 2019-20

आवेद शास्त्र एवं मादक दव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं. 18003456268 या 15545 पर करें।